रघुनाथदास मोट बनाम सुरेश कुमार व अन्य

[illegible]ानी / न0पा0 / नं0 / 69 / 2017

[illegible]ख हुक्म	हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 2017 / 00043 गैर निग. 1 के अधि– श्री बंसत कुमार विजयवर्गीय निग0 अधि.– श्री लेखू मंघानी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.09.2021	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली आज प्राथमिक आपत्ति पर जवाब एंव बहस हेतु नियत है।अपीलार्थी अधिवक्ता दौराने बहस अनुपस्थित हैं। प्रत्यर्थी संख्या 1 के अधिवक्ता उपस्थित है। प्रत्यर्थी अधिवक्ता आज ही बहस चाहते है। अपीलार्थी अधिवक्ता को आवाज दिलायी गयी किन्तु वे उपस्थित नही हुए। अपीलार्थी अधिक्ता को दूरभाष (मोबाइल) पर भी सूचित किया गया, परन्तु वह उपस्थित नही हुये। न्यायलय समय समाप्ति तक अपीलार्थी अधिवक्ता व अपीलार्थी को कई बार आवाजे दिलवायी गयी किन्तु वे उपस्थित नही आये। प्रत्यर्थी अधिवक्ता का कथन है कि उनके द्वारा भी अपीलार्थी अधिवक्ता को आज बहस हेतु आवश्यक रूप से उपस्थित रहने हेतु न्यायलय हाजा में अन्य प्रकरण की बहस के दौरान निवेदन किया गया किन्तु वे उपस्थित नही है। अतएव अपील अपीलार्थी अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज की जावे। अतः उपरोक्त परिस्थिति के कारण वह अपीलार्थी अधिवक्ता एवं अपीलार्थी दोनो की ही अनुपस्थिति के कारण अपील अपीलार्थी अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (डॉ. वीना प्रधान) संभागीय आयुक्त, अजमेर	

Scanned with CamScanner